इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 अप्रैल 2023—चैत्र 17, शक 1945

भाग ४

विषय—सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, ई—5, अरेरा कालोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2023

क्रमांक 693/मप्रविनिआ/2023. विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 61(ज) तथा 86(1)(ङ) सहपठित धारा 181(1) तथा धारा 181(2)(यत) के अधीन प्रदत्त तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह—उत्पादन तथा उत्पादन}

(पुनरीक्षण–द्वितीय) विनियम, 2021 **{आरजी–33(II), वर्ष, 2021}**, जिसे एतद् पश्चात् "मूल विनियम" निर्दिष्ट किया गया है, का संशोधन करने हेतु निम्न विनियम बनाता है, अर्थात् :–

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन} (पुनरीक्षण–द्वितीय) विनियम, 2021 में द्वितीय संशोधन {एआरजी–33(II)(ii), वर्ष, 2023}

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ

1.1 ये विनियम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन} (पुनरीक्षण–द्वितीय) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2021 {एआरजी–33 (II) (ii), वर्ष 2023}** " कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य के "राजपत्र" में इनकी प्रकाशन तिथि से लागू होंगे।

1.3 ये विनियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होंगे।

2. मूल विनियमों के विनियम 2 में संशोधन :

मूल विनियमों के खण्ड दो के उप–खण्ड (दो) के पश्चात् एक नवीन खण्ड, अर्थात, खण्ड (दो)(क) स्थापित किया जाए : –

"(दो)(क)– अधिकोषण (बैंकिंग) चक्र" का वही अर्थ होगा जैसा कि इसे

समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (हरित ऊर्जा खुली पहँच उपभोक्ताओं के संबंध में खुली पहुँच प्रभारों एवं बैंकिंग प्रभारों के अवधारण की क्रियाविधि) विनियम, 2023 (जी–46, वर्ष, 2023) में परिभाषित किया गया है ;"

3. मूल विनियमों के विनियम 3 में संशोधन :

मूल विनियमों के विनियम 3.8 (क) के खण्ड (ग) उप–खण्ड (एक) के स्थान पर निम्न उप–खण्ड स्थापित किया जाए :

"(एक) कोई भी उपभोक्ता हरित ऊर्जा (ग्रीन एनर्जी) के क्रय हेतु या तो खपत के निश्चित प्रतिशत तक या फिर सम्पूर्ण खपत हेतु चयन कर सकेगा तथा उसके द्वारा अपने वितरण अनुज्ञप्तिधारी के समक्ष इस हेतु मांग प्रस्तुत की जा सकेगी जिसके द्वारा हरित ऊर्जा की उक्त मांग की अधिप्राप्ति तथा आपूर्ति की जायेगी तथा उपभोक्ता के समक्ष पवन, जल–विद्युत तथा अन्य श्रेणियों हेतु पृथक–पृथक मांग प्रस्तुत करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा ;"

4. मूल विनियमों के विनियम 10 में संशोधन :–

4.1 मूल विनियमों के विनियम 10.1 के उप–खण्ड (दो) के विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक को प्रथम परन्तुक के रूप में स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"परन्तु यह कि जमा की गई अधिकोषित ऊर्जा (Banked Energy) को अनुवर्ती अधिकोषण चक्रों (banking cycle) की ओर आगे बढ़ाए जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी तथा इसे उसी अधिकोषण चक्र के दौरान अव्यस्ततम अवधि (off-peak period) तथा व्यस्ततम अवधि (peak period) में समायोजित किया जाएगा । अव्यस्ततम अवधि एवं व्यस्ततम अवधि का अवधारण आयोग द्वारा समय–समय पर जारी उसके खुदरा विद्युत–आपूर्ति विद्युत–दर आदेश (Retail Supply Tariff Order) में किया जाएगा :"

4.2 विनियम 10.1 के उप–खण्ड (दो) के प्रथम परन्तुक के पश्चात् निम्न परन्तुक स्थापित किये जाएं, अर्थात् :–

"परन्तु यह और कि व्यस्ततम अवधि के दौरान अधिकोषित ऊर्जा को व्यस्ततम अवधि के साथ–साथ अव्यस्ततम अवधि के दौरान 15 मिनट के समय खण्ड (time block) में आहरित की जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी तथा अव्यस्ततम अवधि के दौरान अधिकोषित ऊर्जा के आहरण की अनुमति केवल अव्यस्ततम अवधि के दौरान 15 मिनट के समय खण्ड में मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (हरित ऊर्जा खुली पहँच उपभोक्ताओं के संबंध में खुली पहुँच प्रभारों एवं बैंकिंग प्रभारों के अवधारण की क्रियाविधि) विनियम, 2023 (जी–46, वर्ष, 2023) के प्रावधानों के अनुसार अधिकोषण प्रभारों (banking charges) के भुगतान द्वारा की जाएगी :

"परन्तु यह और भी कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वसूल किये गये अधिकोषण प्रभारों (banking charges) का समाधान जैसा कि इसका उल्लेख उपरोक्त परन्तुक में किया गया है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में क्रय की गई विद्युत की वास्तविक लागत के आधार पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार अधिकोषित ऊर्जा को लौटाये जाने हेतु तथा अतिरिक्त प्रभार, यदि कोई हों, के दावे हेतु अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के खुदरा विद्युत आपूर्ति विद्युत–दर (टैरिफ) हेतु प्रस्तुत सत्यापन याचिका के साथ पृथक याचिका के माध्यम से किया जाएगा :

"परन्तु यह और भी कि प्रत्येक बैंकिंग चक्र के अंतर्गत अधिशेष अधिकोषित ऊर्जा जो उपयोग में न लाई जा सकी हो, को व्यपगत (lapsed) माना जाएगा और नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादन केन्द्र को, उक्त सीमा तक नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की पात्रता होगी ।"

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकांत पाण्डा, सचिव.

Bhopal, the 31st March 2023

No. MPERC / 2023/693. In exercise of powers conferred by Section 61(h) , 86(1)(e) , read with Section 181(1) and Section 181(2)(zp) of the Electricity Act 2003, (36 of 2003) and all other powers enabling it in that behalf, the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations to amend the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Co-Generation and Generation of Electricity from Renewable Sources of Energy) (Revision-II) Regulations 2021 [RG-33(II) of 2021] herein after referred to as "the Principal Regulations" namely: -

SECOND AMENDMENT TO MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (CO-GENERATION AND GENERATION OF ELECTRICITY FROM RENEWABLE SOURCES OF ENERGY) (REVISION-II) REGULATIONS 2021 {ARG-33(II) (ii) of 2023}

1. **Short Title and Commencement-**

1.1. These Regulations shall be called "**Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Co-Generation and Generation of Electricity from Renewable Sources of Energy) (Revision-II) Regulations 2021 (Second Amendment) [ARG-33 (II) (ii) of 2023]**".

1.2. These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

1.3. These Regulations shall extend to the whole of the Madhya Pradesh.

2. **Amendment to Regulation 2 of the Principal Regulations:**

(ii) **The following new Sub-clause namely (ii) (a) shall be inserted, after Sub-clause of clause 2 of the Principal Regulations: -**

"(ii)(a)- "**Banking Cycle**" shall have the same meaning as defined in Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Methodology for determination of Open Access charges and Banking charges for Green Energy Open Access consumers) Regulations 2023 (G-46 of 2023) as amended from time to time;"

3. Amendment to Regulation 3 of the Principal Regulations:

Sub-clause (i) of Clause (c) of the Regulation 3.8 (A) of the Principal Regulations shall be substituted by the following: -

"(i) Any consumer may elect to purchase green energy either up to a certain percentage of the consumption or its entire consumption and he may place a requisition for this with their Distribution Licensee, which shall procure such quantity of green energy and supply it and the consumer shall have the flexibility to give separate requisition for Wind, Hydro and Other Categories;"

4. Amendment to Regulation 10 of the Principal Regulations: -

4.1 The proviso to Sub-clause (ii) of the Regulation 10.1 of the Principal Regulations shall be substituted by the following as first proviso:

"Provided that the credit for banked energy shall not be permitted to be carried forward to subsequent banking cycles and shall be adjusted during the same banking cycle as per the energy injected in the off-peak period and peak period. The off-peak period and peak period shall be determined by the Commission in its Retail Supply Tariff order from time to time:"

4.2 After the first proviso to Sub-clause (ii) of Regulation 10.1 of the Principal Regulations, the following provisos shall be added:

"Provided further that, the energy banked during peak period shall be permitted to be drawn during peak as well as off-peak period in 15 minutes time block and the energy banked during off-peak period shall be permitted to be drawn only during off-peak period in 15 minutes time block by paying the banking charges determined as per the provisions of Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Methodology for determination of Open Access charges and Banking charges for Green Energy Open Access consumers) Regulations 2023 (G-46 of 2023):

Provided also that the Licensee shall reconcile the banking charges recovered as mentioned in above proviso at the end of each financial year on the basis of actual cost of power purchase arranged by the Licensee to return banked energy and claim additional expenses, if any, through a separate petition alongwith truing up petition of Retail Supply Tariff of subsequent financial year:

Provided also that the un-utilised surplus banked energy shall be considered as lapsed at the end of each banking cycle and the Renewable Energy generating station shall be entitled to get Renewable Energy Certificates to the extent of the lapsed banked energy."

By order of the Commission,
UMAKANTA PANDA, Secy.

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2023

क्रमांक 730/मप्रविनिआ/2023. विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 39(2)(घ), 40(ग) तथा 42(2) एवं (3) सहपठित धारा 181(1) के अधीन प्रदत्त इस निमित्त सामर्थ्यकारी समस्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अन्तर्राज्यिक खुली पहँच के लिये निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2021 **{आरजी–24(i), वर्ष, 2021}**, जिन्हें एतद् पश्चात् "मूल विनियम" निर्दिष्ट किया गया है, में संशोधन करने हेतु निम्न विनियम बनाता है, अर्थात् :–

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अन्तर्राज्यिक खुली पहुँच के लिये निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2021 में द्वितीय संशोधन {एआरजी–24(I)(ii), वर्ष 2023}

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ**

1.1 ये विनियम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अन्तर्राज्यिक खुली पहुँच के लिये निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण प्रथम) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2021 {एआरजी–24(I)(ii), वर्ष 2023}** " कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य के "राजपत्र" में इनकी प्रकाशन तिथि से लागू होंगे।

1.3 ये विनियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होंगे।

2. मूल विनियमों के विनियम 2 में संशोधन :

मूल विनियमों के खण्ड 2.1 के उप–खण्ड (नौ)(क) को निरस्त किया जाए और खण्ड 2.1 के उप–खण्ड (नौ) के पश्चात् नवीन उप–खण्ड (नौ)(क), (नौ)(ख), (नौ)(ग) तथा (नौ)(घ), स्थापित किये जाएं, अर्थात् : –

"(नौ)(क)– 'दिवस पूर्व विपणन केन्द्र (Day Ahead Market (DAM)' का वही अर्थ होगा जैसा कि इसे समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (हरित ऊर्जा खुली पहँच उपभोक्ताओं के संबंध में खुली पहुँच प्रभारों एवं बैंकिंग प्रभारों के अवधारण की क्रियाविधि) विनियम, 2023 (जी–46, वर्ष 2023) में परिभाषित किया गया है।

(नौ)(ख)– 'जीवाश्म ईंधन (Fossil Fuel)' का वही अर्थ होगा जैसा कि इसे समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (हरित ऊर्जा खुली पहँच उपभोक्ताओं के संबंध में खुली पहुँच प्रभारों एवं बैंकिंग प्रभारों के अवधारण की क्रियाविधि) विनियम, 2023 (जी–46, वर्ष 2023) में परिभाषित किया गया है।

(नौ)(ग)– 'हरित ऊर्जा (Green Energy)' का वही अर्थ होगा जैसा कि इसे समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (हरित ऊर्जा खुली पहँच उपभोक्ताओं के संबंध में खुली पहुँच प्रभारों एवं बैंकिंग प्रभारों के अवधारण की क्रियाविधि) विनियम, 2023 (जी–46, वर्ष 2023) में परिभाषित किया गया है।

(नौ)(घ)– 'हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुँच उपभोक्ता (Green Energy Open Access Consumer)' का वही अर्थ होगा जैसा कि इसे समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (हरित ऊर्जा खुली पहँच

उपभोक्ताओं के संबंध में खुली पहुँच प्रभारों एवं बैंकिंग प्रभारों के अवधारण की क्रियाविधि) विनियम, 2023 (जी–46, वर्ष 2023) में परिभाषित किया गया है।"

3. मूल विनियमों के विनियम 13 में संशोधन :

3.1 विनियम 13 के खण्ड 13(क) के उप–खण्ड 13.1 (छह) के पश्चात् एक नवीन परन्तुक अंतर्स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"परन्तु यह कि प्रत्यानुदान अधिभार की राशि विद्युत प्रदाय की औसत लागत के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।"

3.2 विनियम 13 के खण्ड 13(क) उप–खण्ड 13.1(सात) के पश्चात् एक नवीन परन्तुक अंतर्स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"परन्तु यह कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति अपने स्वयं के उपयोग हेतु आबद्ध (कैप्टिव) विद्युत उत्पादन संयंत्र से की जा रही हो तो अतिरिक्त अधिभार को अधिरोपित नहीं किया जाएगा ।"

3.3 विनियम 13 के खण्ड 13(ख) के उप–खण्ड (एक) के स्थान पर निम्न उप–खण्ड (एक) स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुँच उपभोक्ताओं पर लागू प्रभार निम्नानुसार होंगे:

1.1 पारेषण (ट्रांसमिशन) प्रभार ;

1.2 चक्रण (व्हीलिंग) प्रभार ;

1.3 प्रत्यानुदान अधिभार (Cross Subsidy Charge) ;

1.4 अतिरिक्त अधिभार ;

1.5 आपातोपयोगी प्रभार (Standby Charge) जहाँ कहीं भी वे प्रयोज्य हों ;

1.6 अधिकोषण (बैंकिंग) प्रभार जहाँ कहीं भी वे प्रयोज्य हों ; और

1.7 समुचित आयोग के सुसंबंध विनियमों के अनुसार प्रयोज्य अनुसूचीबद्धता शुल्क (शेड्यूलिंग फी)/राज्य भार प्रेषण केन्द्र (SLDC)/क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (RLDC) प्रभार तथा विचलन प्रभार ।"

3.4 विनियम 13 के खण्ड 13 (ख) के उप–खण्ड (दो) के तृतीय परन्तुक के स्थान पर निम्नानुसार तृतीय परन्तुक स्थापित किया जाए :–

"परन्तु यह और भी कि यदि विद्युत की अधिप्राप्ति गैर–जीवाश्म ईंधन–आधारित अवशिष्ट–से–ऊर्जा (Non-fosil Fuel-based Waste-to-Energy) संयंत्र से की जाती है तथा निर्बाध (खुली) पहुँच उपभोक्ता को प्रदाय की जाती हो तो प्रत्यानुदान अधिभार (Cross Subsidy Surcharge) तथा अतिरिक्त अधिभार प्रयोज्य नहीं होंगे ; "

3.5 विनियम 13 के खण्ड 13 (ख) के उप–खण्ड (दो) के चौथे परन्तुक के पश्चात् निम्न पांचवां परन्तुक अंतर्स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"परन्तु यह और भी कि अतिरिक्त अधिभार ऐसे प्रकरण में प्रयोज्य न होगा जहाँ माह दिसम्बर, 2025 तक क्रियाशील की गई अपतटीय (Offshore) पवन परियोजनाओं के माध्यम से विद्युत का उत्पादन किया जाता हो तथा निर्बाध (खुली) पहँच उपभोक्ता को प्रदाय की जाती हो :"

3.6 विनियम 13 के खण्ड 13 (ख) के उप–खण्ड (दो) के पाँचवें परन्तुक के पश्चात् छठा परन्तुक निम्नानुसार अंतर्स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"परन्तु यह और भी कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा हरित ऊर्जा की प्राप्ति अपने स्वयं के उपयोग हेतु आबद्ध (केप्टिव) विद्युत उत्पादन संयंत्र के रूप में की जा रही हो तो ऐसे प्रकरण में अतिरिक्त अधिभार को आरोपित नही किया जाएगा :"

3.7 विनियम 13 के खण्ड 13 (ख) के उप–खण्ड (तीन) के पश्चात् निम्न नवीन परन्तुक अंतर्स्थापित किया जाए :–

"परन्तु यह कि प्रत्यानुदान अधिभार (Cross Subsidy Surcharge) विद्युत प्रदाय की औसत लागत के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :"

3.8 विनियम 13 के खण्ड 13 (ख) के उप–खण्ड (चार) के स्थान पर निम्न उप–खण्ड (चार) स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"चार. आपातोपयागी प्रभार (Standby charges) जहाँ कहीं भी वे लागू हों, को राज्य आयेाग द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा तथा ऐसे प्रभार लागू नहीं होंगे यदि हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुँच उपभोक्ताओं द्वारा दिवस पूर्व विपणन केन्द्र {Day Ahead Market (DAM)} के द्वार बन्द होने (Gate Closure) से पूर्व

न्यूनतम एक दिवस की पूर्व सूचना (नोटिस) [(D-(minus)1] दिवस के भीतर प्रदान की गई हो जहाँ 'D' से अभिप्रेत है वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आपातोपयोगी व्यवस्था हेतु विद्युत–प्रदाय का दिवस ।"

3.9 विनियम 13 के खण्ड 13(ख) के उप–खण्ड (चार) के प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्न प्रथम परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"परन्तु यह कि प्रयोज्य आपातोपयोगी प्रभार उपभोक्ता टैरिफ श्रेणी को प्रयोज्य ऊर्जा प्रभारों के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे :"

3.10 विनियम 13 के खण्ड 13(ख) के उप–खण्ड (चार) के द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्न द्वितीय परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"परन्तु यह और कि आपातोपयोगी प्रभार (Standby Charges) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुँच उपभोक्ता को प्रदाय की गई आपातोपयोगी ऊर्जा पर प्रयोज्य विद्युत–दर के अतिरिक्त होंगे ।"

4. मूल विनियम के विनियम 15 के स्थान पर निम्न विनियम 15 स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

किसी निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेता द्वारा विभिन्न स्त्रोतों से ऊर्जा आहरण हेतु प्राथमिकता, निम्न उपचायक प्राथमिकता (रिड्यूसिंग प्रायोरिटी) के क्रमानुसार होगी तथा प्रत्येक समय–खंड (टाईम ब्लॉक) हेतु इसका क्रियान्वयन प्रयोज्य हानियों के समायोजन पर किया जायेगा ।

(क) नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संयंत्र ;

(ख) आबद्ध (केप्टिव) उत्पादन संयंत्र ;

(ग) अधिकोषित ऊर्जा (Banked Energy) ;

(घ) दीर्घ–अवधि द्विपक्षीय क्रय ;

(ङ) मध्यम–अवधि निर्बाध (खुली) पहुँच ;

(च) लघु–अवधि अन्तर्राज्यीय निर्बाध (खुली) पहुँच, पावर एक्सचेंज संव्यवहारों (लेन–देन) को सम्मिलित करते हुए ;

(छ) लघु–अवधि राज्यान्तरिक (खुली) पहुँच ;

(ज) हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुँच के अंतर्गत वितरण अनुज्ञप्तिधारी से आपातोपयोगी ऊर्जा (Standby Energy) की प्राप्ति, यदि कोई हो ; और

(झ) वितरण अनुज्ञप्तिधारी ।

परन्तु यह कि समान श्रेणी के एक से अधिक स्त्रोतों से ऊर्जा के आकलन (एनर्जी–क्रेडिट) का समायोजन ऐसे स्त्रोतों से संविदाकृत विद्युत उत्पादन क्षमता के अनुपातिक आधार पर किया जायेगा ।

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकांत पाण्डा, आयोग सचिव.

Bhopal, the 5th April 2023

No. MPERC/2023/730 In exercise of powers conferred by Section 39(2)(d), 40(c) and 42(2) and (3) read with Section 181(1) of the Electricity Act 2003, (36 of 2003) and all other powers enabling it in that behalf, the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations to amend Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Intra-State Open Access in Madhya Pradesh)(Revision-I) Regulations, 2021 ({RG-24(I) of 2021} herein after referred to as "the Principal Regulations" namely: -

SECOND AMENDMENT TO MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (TERMS AND CONDITIONS FOR INTRA-STATE OPEN ACCESS IN MADHYA PRADESH) (REVISION-I) REGULATIONS, 2021 {RG-24(I)(ii) OF 2023}

1. **Short Title and Commencement-**

1.1. These Regulations shall be called "**Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Intra-State Open Access in Madhya Pradesh) Regulations, (Revision-I) 2021 (Second Amendment) {ARG-24(I)(ii) of 2023}".**

1.2. These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

1.3. These Regulations shall extend to the whole of the Madhya Pradesh.

2. **Amendment to Regulation 2 of the Principal Regulations.**

2.1 **The sub-clause (ix)(a) of clause 2.1 of the Principal Regulations is deleted and following sub clauses namely (ix)(a), (ix)(b), (ix)(c) and (ix) (d) shall be inserted, after sub-clause (ix) of clause 2.1 of the Principal Regulations:**

"**(ix)(a) - 'Day Ahead Market (DAM)'** shall have the same meaning as defined in Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Methodology for determination of Open Access charges and Banking charges for Green Energy Open Access consumers) Regulations 2023 (G-46 of 2023) as amended from time to time;

(ix)(b)- 'Fossil Fuel' shall have the same meaning as defined in Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Methodology for determination of Open Access charges and Banking charges for Green Energy Open Access consumers) Regulations 2023 (G-46 of 2023) as amended from time to time;

(ix)(c)-'Green Energy' shall have the same meaning as defined in Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Methodology for determination of Open Access charges and Banking charges for Green Energy Open Access consumers) Regulations 2023 (G-46 of 2023) as amended from time to time;

(ix)(d)- 'Green Energy Open Access Consumer' shall have the same meaning as defined in Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Methodology for determination of Open Access charges and Banking charges for Green Energy Open Access consumers) Regulations 2023 (G-46 of 2023) as amended from time to time;

3. Amendment to Regulation 13 of the Principal Regulations.

3.1 A new proviso shall be inserted after sub-clause 13.1 (vi) of clause 13A of Regulation 13, namely: -

"Provided that the cross-subsidy surcharge shall not exceed 20% of average cost of supply."

3.2 A new proviso shall be inserted after sub-clause 13.1 (vii) of clause 13A of Regulation 13, namely: -

"Provided that such additional surcharge shall not be levied in case a person is availing power from the plant established as captive generation plant for his own use:"

3.3 The sub-clause (i) of clause 13B of Regulation 13 shall be substituted by the following sub-clause (i), namely: -

"(i)- The charges on Green Energy Open Access consumers shall be as follows:

- Transmission Charges;

1.1. Wheeling Charges;

1.2. Cross Subsidy Surcharge;

1.3. Additional Surcharge;

1.4. Standby charges wherever applicable;

1.5. Banking Charge; wherever applicable; and

1.6. Applicable Scheduling Fees/Charges of SLDC/RLDC and Deviation charges as per the relevant regulations of the Appropriate Commission.

3.4 The 3rd proviso to sub-clause (ii) of clause 13B of Regulation 13 shall be substituted by the following 3rd proviso: -

"Provided also that cross subsidy surcharge and additional surcharge shall not be applicable in case power procured from a non-fossil fuel- based Waste-to- Energy plant is supplied to the Open Access Consumer:"

3.5 The 5th proviso shall be inserted after 4th proviso to sub-clause (ii) of clause 13B of Regulation 13, namely: -

"Provided also that additional surcharge shall not be applicable in case of electricity produced from offshore wind projects, which are commissioned up to December 2025 and supplied to Open Access Consumer:"

3.6 The 6th proviso shall be inserted after 5th proviso to sub-clause (ii) of clause 13B of Regulation 13, namely: -

"Provided also that such additional surcharge shall not be levied in case a person is availing green power from the plant established as captive generation plant for his own use:"

3.7 The following new proviso shall be inserted, after sub-clause (iii) of clause 13B of Regulation 13 of the Principal Regulations:

"Provided that the cross-subsidy surcharge shall not exceed 20% of average cost of supply:"

3.8 The sub-clause (iv) of clause 13B of Regulation 13 shall be substituted by the following sub-clause (iv), namely: -

"**(iv)**-The standby charges, wherever applicable, shall be specified by the State Commission and such charges shall not be applicable, if the Green Energy Open Access Consumers have given notice, at least a day in advance before gate closure time of the Day Ahead Market on D-(minus) 1 day, 'D' being the day of delivery of power, for standby arrangement by the Distribution Licensee:"

3.9 The 1st proviso to sub-clause (iv) of clause 13B of Regulation 13 shall be substituted by the following 1st proviso, namely: -

"Provided that the applicable standby charges shall not be more than twenty five per cent of the tariff applicable to consumer category:"

3.10 The 2nd proviso to sub-clause (iv) of clause 13B of Regulation 13 shall be substituted by the following 2nd proviso, namely:

"Provided further that the standby charges shall be in addition to the applicable tariff on standby energy supplied by the Distribution Licensee to the Green Energy Open Access Consumer."

4. Regulation 15 of the Principal Regulations shall be substituted by the following Regulation, namely: -

"15. PRIORITY FOR ADJUSTMENT OF ENERGY CREDIT

The priority for adjustment of energy drawl by an open access customer from different sources shall be as per the following sequence of reducing priority and shall be implemented for each time block, upon adjustment of applicable losses:

(a) Renewable Energy Generators;
(b) Captive Generating Plant;
(c) Banked Energy;
(d) Long-term Bilateral purchase;
(e) Medium-term open access;
(f) Short-term inter-State open access including Power Exchange transactions;
(g) Short-term intra-State Open access;
(h) Standby energy from Distribution Licensee under Green Energy Open Access, if any; and
(i) Distribution Licensee.

Provided that energy credit from more than one source from the similar category shall be adjusted on pro-rata basis of the contracted generation capacity from such source."

By order of the Commission,
UMAKANTA PANDA, Commission Secy.

अंतिम नियम

मध्यप्रदेश गृह निर्माण अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल

क्र. 282–का.प्र.1–मण्डल–2023 भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2023

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम , 2016 (2016 का 49) की धारा 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन दिव्यांगजन के लिए पदों के चिन्हांकन के लिए समिति, एतद्द्वारा, अनुसूची–एक में मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल (संगठनात्मक संरचना एवं भर्ती) की स्थापना में , अनुसूची–दो में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिये आरक्षित पद चिन्हांकित करती है।

अनुसूची–एक

(1) मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल

अनुसूची–"दो"

निःशक्तजनों के लिये पदो का चिन्हांकन

विभागः मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल :

श्रेणी	पद/संवर्ग	स्वीकृत पद	योग	निःशक्तजनों के लिये चिन्हांकित पदोंकी संख्या कुल योग (6 प्रतिशत के मान से)	चिन्हांकित पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (6+7+8+9)	रिमार्क
					दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5 प्रतिशत)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5 प्रतिशत)	लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त बोनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्राफी (1.5 प्रतिशत)	ऑटिज्म,बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5 प्रतिशत)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
प्रथम	अपर आयुक्त	3	3	0	0	0	0	0	0	
	उपायुक्त (सिविल)	10	10	1	0	0	0	1	1	
	उपायुक्त (विद्युत)	1	1	0	0	0	0	0	0	
	कार्यपालन यंत्री (सिविल)	31	31	2	0	0	1	1	2	
	कार्यपालन यंत्री (विद्युत)	3	3	0	0	0	0	0	0	
	लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी /सम्पदा अधिकारी	19	19	1	0	0	0	1	1	
द्वितीय	सहायक यंत्री (सिविल)									
	सीधी भर्ती	24	24	1	0	0	1	0	1	
	पदोन्नति	71	71	4	1	1	1	1	4	
		डिग्रीधारी–19		0	0	0	0	0	0	
		डिप्लोमाधारी–47		0	0	0	0	0	0	
		मानचित्रकार–05		0	0	0	0	0	0	
	सहायक यंत्री (विद्युत)			0	0	0	0	0	0	
	सीधी भर्ती	2	2	0	0	0	0	0	0	
	पदोन्नति	7	7	0	0	0	0	0	0	
		डिग्रीधारी–02		0	0	0	0	0	0	
		डिप्लोमाधारी–05		0	0	0	0	0	0	
	वास्तुविद	1	1	0	0	0	0	0	0	
	सहायक वास्तुविद	2	2	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	शाखा अधिकारी /संपदा प्रबंधक	43	43	3	0	1	1	1	3	
	सहायक सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी	2	2	0	0	0	0	0	0	
	निज सचिव	6	6	0	0	0	0	0	0	
	कनिष्ठ अंकेक्षण अधिकारी	8	8	0	0	0	0	0	0	
	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	4	4	0	0	0	0	0	0	
तृतीय	उपयंत्री (सिविल)	296	296	18	4	4	5	5	18	
	उपयंत्री (विद्युत)	28	28	2	0	0	1	1	2	
	मानचित्रकार (वास्तु)	4	4	0	0	0	0	0	0	
	लेखापाल	58	58	3	1	0	1	1	3	
	निज सहायक	12	12	1	0	0	0	1	1	
	सहायक प्रोग्रामर	12	12	1	0	0	0	1	1	
	सहायक सम्पत्ति प्रबंधक–1	7	7	0	0	0	0	0	0	
	सहायक सम्पत्ति प्रबंधक–2	36	36	2	1	0	0	1	2	
	डाटा एंट्री आपरेटर	19	19	1	0	0	0	1	1	
	शीघ्रलेखक ग्रेड–3	9	9	1	0	0	0	1	1	
	वरिष्ठ सहायक	266	266	16	4	4	4	4	16	
	सहायक	428	428	26	6	6	7	7	26	
	चालक	15	15	1	0	0	0	1	1	
चतुर्थ	दफ्तरी	21	21	1	0	0	1	0	1	
	भृत्य/चौकीदार	318	318	19	5	5	5	4	19	

In exercise of the powers conferred by section 101 of the Rights of Person with Disabilities Act, 2016 (No. 49 of 2016), for the identification of the posts for the disabled persons, under the provisions of Rule 17 of the Madhya Pradesh Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 committee for identification of posts, hereby, identifies the posts reserved for the disabled persons as per the specifications prescribed in Schedule -2 in the establishment of Madhya Pradesh Housing and Infrastructure Development Board (Organizational Structure and Recruitment) Regulation, 2016 of Schedule-1.

Schedule- One

(1) Madhya Pradesh Housing and Infrastructure Development Board

Schedule- Two

Indentification of posts for the Disabled

Department- Department of Madhya Pradesh Housing and infrastructure Development Board

Category	Post/Cadre	Posts sanctioned	Total	Total Posts Identified for the disabled (According to 6 percent)	Identified Post/Cadre and no				Total (6+7+8+9)	Remark
					Visually impaired and low vision (1.5%)	Hearing Impaired Deaf and Hard of Hearing (1.5%)	Locomotors Disability Including Cerebral Palsy, Leprosy cured person, Dwarfism, Acid Attack victim, Muscular Dystrophy (1.5%)	Autism, intellectual Disability, Specific learnig Disability, mental Illness, Multiple Disability (1.5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
First	Additonal commissioner	3	3	0	0	0	0	0	0	
	Deputy Commissioner (Civil)	10	10	1	0	0	0	1	1	
	Deputy Commissioner (Electrical)	1	1	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Executive Engineer (Civil)	31	31	2	0	0	1	1	2	
	Executive Engineer (Electrical)	3	3	0	0	0	0	0	0	
	Administrative Officer/ Accounts Officer/ EstateOfficer	19	19	1	0	0	0	1	1	
Second	Assistant Engineer (Civil)									
	Direct Recruitment	24	24	1	0	0	1	0	1	
	Promotions	71	71	4	1	1	1	1	4	
		Degree Holder-19		0	0	0	0	0	0	
		Diploma Holder-47		0	0	0	0	0	0	
		Draftsmen- 05		0	0	0	0	0	0	
	Assistant Engineer (Electrical)			0	0	0	0	0	0	
	Direct Recruitment	2	2	0	0	0	0	0	0	
	Promotions	7	7	0	0	0	0	0	0	
		Degree Holder-02		0	0	0	0	0	0	
		Diploma Holder-05		0	0	0	0	0	0	
	Architech	1	1	0	0	0	0	0	0	
	Assistant Architech	2	2	0	0	0	0	0	0	
	Branch Officer/ Estate Manager	43	43	3	0	1	1	1	3	
	Assistant Information Technology Officer	2	2	0	0	0	0	0	0	
	Personal Secretary	6	6	0	0	0	0	0	0	
	Junior Audit Officer	8	8	0	0	0	0	0	0	
	Computer Programmer	4	4	0	0	0	0	0	0	
Three	Sub Engineer (Civil)	296	296	18	4	4	5	5	18	
	Sub Engineer (Electrical)	28	28	2	0	0	1	1	2	
	Draftsmen (Architect)	4	4	0	0	0	0	0	0	
	Accountant	58	58	3	1	0	1	1	3	
	Personal Assistant	12	12	1	0	0	0	1	1	
	Assistant Programmer	12	12	1	0	0	0	1	1	
	Assistant Manager-1	7	7	0	0	0	0	0	0	
	Assistant Manager-2	36	36	2	1	0	0	1	2	
	Data Entry Operator	19	19	1	0	0	0	1	1	
	Stenographer	9	9	1	0	0	0	1	1	
	Senior Assistant	266	266	16	4	4	4	4	16	
	Assistant	428	428	26	6	6	7	7	26	
	Driver	15	15	1	0	0	0	1	1	
Fourth	Daftari	21	21	1	0	0	1	0	1	
	Peon/ Watchman	318	318	19	5	5	5	4	19	

चन्द्रमौली शुक्ला, आयुक्त.